

कार्यालय
पत्रांक:- 288/110/2014

पंचायत

गौतमबुद्धनगर
दिनांक:- 06/02/2014

अनुज्ञा पत्र

विषय:-खसरा नं०-19(पुराना खसरा नं०-17म),ग्राम-जगनपुर अफजलपुर,परगना-दनकौर, तहसील-सदर,
गौतमबुद्धनगर पर आवासीय भवन निर्माण के नक्शे की स्वीकृति के संबंध में।

मै० मेरीडियन कंसल्टंट कंसल्टेंट प्रा० लि० के डायरेक्टर के प्रार्थना पत्र के द्वारा, खसरा नं०-19(पुराना खसरा नं०-17म),ग्राम-जगनपुर अफजलपुर,परगना-दनकौर, तहसील-सदर,गौतमबुद्धनगर पर आवासीय भवन निर्माण के नक्शे की स्वीकृति चाही गयी है।इस भूखण्ड का क्षेत्रफल-3232.00वर्ग मी० व उपरोक्त निर्माण स्टील्ट+4 मंजील व जिसकी अधिकतम ऊंचाई(मस्ती एवं मशीन रूम सहित)-19.05मी० तक है। उपरोक्त का मानचित्र पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में उ०प्र० गजट 10 अक्टूबर 1998 में प्रकाशित 10 सितंबर 1998 सं० 1045/23-210-96-98 उ०प्र० क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष जिला पंचायत के आदेश दिनांक- 17.01.14 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपरोक्त नक्शे की स्वीकृति की जाती है।

- 1-स्वीकृत नक्शे के अतिरिक्त कोई निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 2-किसी विकास कार्य के लिए जिला पंचायत कोई व्यय नहीं करेगी एवं परिवर्तन की दशा में पुनः आवेदन करना होगा।
- 3-यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष तक वैध माना जायेगा।
- 4-भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है,उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
- 5-यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- 6-बिजली की लाईन से पांच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जाये एवं निर्माण कार्य में इण्डियन इलेक्ट्रीसिटी नियमों का पालन किया जाये।
- 7-सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रैम्प स्टैप्स नहीं बनाये जायेंगे।
- 8-संस्था/प्रार्थी के द्वारा जल एवं मल के निकासी की व्यवस्था उचित प्रकार एवं स्वयं करनी होगी।
- 9-अग्निशमन विभाग से निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- 10-भवन निर्माण योग्यता प्राप्त इंजीनियर/आर्किटेक्ट की देख रेख में कराया जायेगा एवं संरचना व स्पेसिफिकेशन्स की पूर्ण जिम्मेदारी संस्था/प्रार्थी की स्वयं की होगी।
- 11-मानचित्रों की स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका,नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।


अभिषेता
जिला पंचायत गौतमबुद्ध नगर


अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गौतमबुद्ध नगर

12-सम्पूर्ण निर्माण कार्य भारतीय मानक ब्यूरोए भारतीय मानक संस्थान लोक निर्माण विभाग तथा भवन निर्माण से संबंधित राज्य व केन्द्र स्तरीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा निर्गत किये गये अद्यतन मानकों के अनुसार ही कराया जायेगा। निर्मित भवन अथवा उसका कोई भी अंश निर्माण काल में अथवा उसके पश्चात, उपरोक्त दिशा निर्देशों व संस्थानों के मानको के अनुसार न पाये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी इसके लिए किसी भी अन्य पत्राचार अथवा कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी तथा इसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों हेतु अनुज्ञा पत्र धारी/भू-स्वामी/निर्माण कर्ता उत्तरदायी होगा एवं किसी भी प्रकार के अधोमानक अथवा उससे होने वाली क्षतिपूर्ति का वहन करने हेतु बाध्य होगा।

13-निर्माण पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार किया जायेगा। आवेदनकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा कि वह स्ट्रक्चरल इंजीनियर से निर्माण के विभिन्न महत्वपूर्ण स्तरों जैसे -कुर्सी स्तर, प्रत्येक तल की छत एवं इसी प्रकार अन्य समस्त स्तरों पर स्थलीय निरीक्षण कराकर निर्माण मानको के अनुसार संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। यह बाध्यता वास्तुविद द्वारा भी समस्त महत्वपूर्ण स्तरों हेतु प्रभावी होगी अन्यथा की स्थिति में यह स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी इसके लिए किसी भी अन्य पत्राचार अथवा कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।

14-स्वीकृत मानचित्र सीमा अन्तर्गत स्वीकृत भूभाग पर ही यह अनुज्ञा पत्र तथा मानचित्र की स्वीकृति प्रभावी होगी। भूस्वामी की अन्य कोई भी भूमि, चाहे वह इस मानचित्र से कितनी भी समीप अथवा दूरी पर क्यों न हो, यह स्वीकृति किसी भी स्थिति में लागू नहीं होगी। स्वीकृत क्षेत्र के अतिरिक्त कही भी इस स्वीकृति का दुरुपयोग दण्डनीय होगा एवम उक्त स्थिति में स्वीकृत क्षेत्र में भी यह स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी इसके लिए किसी भी अन्य पत्राचार अथवा कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।

15-किसी भी अन्य सक्षम स्तर अथवा मा0 न्यायालय द्वारा यदि इस भूभाग अथवा स्वीकृत किये जा रहे मानचित्र एवम अनुज्ञा पत्र के विपरीत कोई निर्णय पूर्व में निर्गत किया जा चुका है, निर्माण अवधि में निर्गत किया जाता है, निर्माण पूर्ण होने के पश्चात निर्गत किया जाता है तो इसका समस्त उत्तर दायित्व भू-स्वामी एवम निर्माण कर्ता का होगा। इस हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं होगा यही सम्पूर्ण स्थिति निर्मित स्थल के उपयोग हेतु भू-स्वामी एवं निर्माण कर्ता हेतु होगी एवम यह स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी इसके लिए किसी भी अन्य पत्राचार अथवा कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी। भू-स्वामी एवम निर्माण कर्ता के लिए यह बाध्यकारी होगा कि इस प्रकार के किसी भी निर्णय को तत्काल जिला पंचायत के संज्ञान में लाया जाये।

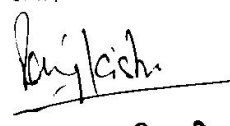
16-भू-स्वामी एवम निर्माण कर्ता हेतु यह बाध्यकारी होगा कि वे वास्तुविद तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भूकम्प रोधी मानचित्र डिजाइन कराये एवं तदनुसार ही प्रदत्त विशिष्टियों के अनुसार सामग्री का उपयोग एवं निर्माण कराये। अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी इसके लिए किसी भी अन्य पत्राचार अथवा कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।

17-निर्माण कार्य कराते समय आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों में दर्शाये गये विवरणों के अतिरिक्त अन्य जरूरी बिल्डिंग उपनियम (जिला पंचायत) के अनुसार कराया जायेगा।

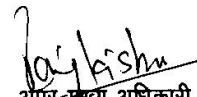
18-कार्य आवागमन अवरुद्ध किये बिना पूर्ण किया जायेगा।

19-कार्य पूर्ण होने पर एक सप्ताह के अन्दर विभाग को सूचित करना होगा।


अभिप्रेता
जिला पंचायत गीतमबुद्ध नगर


अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गीतमबुद्ध नगर

- 20-कार्य पूर्ण होने पर जिला पंचायत विभाग से एक माह के अन्दर पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी करने को प्रतिवेदन देना होगा।
- 21-अन्य विभागों से अदेय एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यकता पडने पर लेने की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।
- 22-दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुलें तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव (प्रोजक्टेड) न हो।
- 23-स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके।
- 24-स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिए भवन को प्रयोग में न लायें।

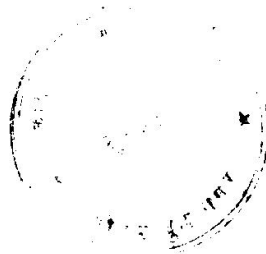

अपर-मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर
जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर

पत्रांक:- 288/नि०/2014

दिनांक:- 06/02/2014

प्रतिलिपि:-सम्बन्धित नक्शा मालिक, गौतमबुद्धनगर।

2-अवर अभियन्ता जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर को इस आशय के साथ कि नियमानुसार कार्यवाही करें।



1
अभियन्ता
जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर।